राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / अलेसे–II / 1988 / 2349 दिनांकः– 29.01.2018

आदेश संख्या 281 / 2017–18

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अशोक कुमार गुप्ता	574 / 88	05.11.1990	05.11.2017	
2	भोम सिंह शेखावत	650 / 88	05.11.1990	05.11.2017	
3.*	बेगराज	556 / 88	05.11.1990	05.11.2017	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय है
4	कैलाश चन्द गुप्ता	601 / 88	05.11.1990	05.11.2017	
5	किशोर कुमार सावलानी	597 / 88	05.11.1990	05.11.2017	
6	शक्ति सिंह	248 / 88	16.04.1990	16.04.2017	
7.*	सुनील कुमार	375 / 88	02.05.1990	02.05.2017	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय है
8	सुरेश कुमार शर्मा	615 / 88	05.11.1990	05.11.2017	
9	सुरेश कुमार गौड़	511 / 88	16.07.1990	16.07.2017	
10	वेदप्रिय शर्मा	डीजीएस / 88	22.10.1990	22.10.2017	
11*	विनोद कुमार गोयल	334 / 88	02.05.1990	02.05.2017	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय है

* उपरोक्त क्रम संख्या3,7,11 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I / एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीक्षित)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order